(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 557–एक/2015 विरूद्व आदेश दिनांक 11–2–2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला पन्ना – प्रकरण कमांक 25 अ–6–अ/2013–14 अपील

1– जाहिदा खातून पुत्री स्व.कल्लू खॉ
2– आरफा खातून पुत्री स्व. कल्लू खॉ
दोनों ग्राम अमरक्षी तहसील अजयगढ़
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्व

1– दायम खान पुत्र इस्मायल खॉ उर्फ ईसम खॉ
ग्राम अमरक्षी तहसील अहजयगढ़ जिला पन्ना
2– म0प्र0शासन ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक–2 के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 11 – 2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 25 अ–6–अ/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने नायव तहसीलदार धरमपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115,116 के

अंतिर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम अमरछी की पुरानी भूमि सर्वे नंबर 747/2, 747/2 का टु0 719, 801/8 क कुल रकबका 3.91 हैक्टर से निर्मित नवीन आराजी नं. 842, 843, 849, 871, 873 रकबा 0.51, 0.49, 0.75, 1.49, 0.85 हैक्टर पर उसके पिता इस्माइल पुत्र अलफ खॉ का नाम 1962–63 से वर्ष 1989–90 तक सहखातेदार के रूप में दर्ज होना बताया तथा इसके वाद की खसरा नकल लेने पर पता चला कि इस भूमि पर सॅशोधित प्रविष्टि कल्लू पुत्र रज्जूखां के नाम की अवैध तरीके से कर दी गई है इसलिये सुधार किया जाकर कल्लू पुत्र रज्जूखां के नाम को हटाया जावे। नायव तहसीलदार धरमपुर ने प्रकरण कमांक 01/अ–6–अ/2010–11 पंजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 23–2–11 पारित किया एंव कल्लू पुत्र रज्जूखां के नाम की प्रविष्टि को निरस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ के समक्ष अपील कमांक 25 अ–6–अ/ 2013–14 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11–2–15 पारित करके अपील 03 वर्ष 01 माह विलिम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11–2–15 के अवलोकन उपरांत प्रकरण में देखना यह है कि अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ ने उनके समक्ष अपील मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों को अमान्य करते हुये अपील समयवाह्य पाकर निरस्त करने

में त्रृटि की है ? अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 8 , 9, पर संलग्न अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि स्वर्गीय कल्लू खॉ ने इस आवेदन में बताया है कि उत्तरार्थी कमांक 1 तथा उसके भाई ने 28–2–14 को आराजियान पर कास्त करने से मना किया तब गॉव के कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों से बात की जिनके बताये अनुसार वह दिनांक 28–2–14 को राजस्व रिकार्ड की जानकारी लेने नायव तहसीलदार धरमपुर के यहां गया जहॉ यह जानकारी उसे दी गई कि तहसील अजयगढ के प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 23–2–11 से उसका नाम विलोपित कर दिया गया है। तात्पर्य यह है कि अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार वह पढ़ा लिखा नहीं है एंव नायव तहसीलदार के आदेश की जानकारी उसे तहसील में जाकर सर्वप्रथम 28–2–14 को हुई, जबकि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–2–11 के पद–2 में इस प्रकार अंकन है।

'' प्रकरण शीर्ष अ–56–अ में दर्ज कर अनावेदक को तलब किया गया। अनावेदक ने उपस्थित होकर जबाव, कथन व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्स पी–1 है।''

स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार के यहॉ प्रकरण प्रचलित रहने की जानकारी कल्लू खॉ को यथा समय रही है इस प्रकार कल्लू खॉ ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 में जो तथ्य अंकित कराये हैं वह तहसील न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों से मेल नहीं खाते है एंव भ्रमपूर्ण होकर संदेहजनक हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना ने प्रकरण कमांक 25 अ–6–अ/2013–14

अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2015 से अपील 03 वर्ष 01 माह के विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त की है एंव 03 वर्ष 01 माह का विलम्ब अत्याधिक है क्योंकि अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाने के कारण विलम्ब क्षमा नहीं किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 25 अ–6–अ/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2015 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 25 अ–6–अ/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2015 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
म0प्र0ग्वालियर